020/वीजीएल/036

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक ए
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक 08.09.2020

<u>परिपत्र संख्या 09/09/2020</u>

विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का अनुपालन, - "सतर्क भारत, समृद्ध भारत (Vigilant India, Prosperous India)"

केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ भ्रष्टाचार-रोधी निकाय है, जिसे प्रशासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार से संघर्ष करने का अधिदेश प्राप्त है। यह एक बहु-सदस्यी सांविधिक संस्थान है, जिसे केंद्र सरकार तथा उसके संगठनों में सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण रखने का अधिकार प्राप्त है। केंद्र सरकार और इसके अंतर्गत आने वाले संगठनों के लोक प्रशासन में ईमानदारी की निगरानी करने के साथ-साथ, आयोग अपने आउटरीच उपायों में प्रयत्न करता है कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्राप्त करने की नीति के प्रति नागरिक समाज तथा जनता के मध्य समग्र जागरूकता उत्पन्न कर सके। आयोग "भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता" की नीति को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

2. आयोग ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष **"सतर्क भारत, समृद्ध भारत (Vigilant India, Prosperous India)"** विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन **27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020** तक किया जाएगा।

3. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सभी अन्य संगठनों में **27 अक्टूबर 2020 को प्रातः 11:00 बजे** लोक सेवकों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने [प्रति संलग्न परिशिष्ट- `ख`] के साथ आरंभ किया जाएगा।

4. सभी संगठनों को सलाह दी जाती है कि सभी स्थानों तथा कार्यक्रमों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी वर्तमान कोविड-19 निवारण दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करें।

5. इसके अतिरिक्त, व्यय विभाग के दिनांक 04.09.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7[2]ई. कॉर्ड/2020 के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा परिचालित अर्थोपाय का सभी संगठन सख्ती से अनुपालन करें।

6. संगठन के भीतर आयोजित किए जाने वाले कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल किए जाएं :

क) **आयोग यह चाहता है कि सभी संगठन आंतरिक कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करें, जिन्हें सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में अभियान में लिया जाना है।** इन कार्यकलापों के लिए दिशानिर्देशों को संगठनों के

मार्गदर्शन के लिए निर्देशक सूची[परिशिष्ट `क`] के रूप में परिचालित किया जा रहा है। विभिन्न संगठनों की प्राथमिकताओं तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्यकलापों / कार्यों को किया जा सकता है।

ख) सभी कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा ली जाए। कर्मचारियों को वेबसाइट पर जाकर ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो लोग मौखिक रूप से प्रतिज्ञा ले रहे हों, उन्हें वेबसाइट के माध्यम से इसे रिकॉर्ड करने की सलाह दी जाए।

ग) संगठन की नीतियों / प्रक्रियाओं और निवारक सतर्कता उपायों पर कर्मचारियों तथा अन्य पणधारियों के लिए कार्यशालाएं / सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

घ) कर्मचारियों / उपभोक्ता अनुकूल सूचना के प्रचार के लिए संगठन की वेबसाइट का उपयोग करें और समस्या के निवारण के उपाय उपलब्ध कराएँ।

ङ) विस्तृत प्रचार और जागरूकता के लिए अंगीकृत सर्वांगी सुधार और अच्छी पद्धतियों को संबंधित संगठनों की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

च) कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लिए भ्रष्टाचार-रोधी विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि आयोजित करवाएँ।

छ) उन व्यक्तियों द्वारा ई-सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा की संकल्पना को बढ़ावा दें, जिनके साथ संगठन संबंध रखता है।

7. जनता / नागरिकों के लिए विशिष्ट गतिविधियाँ:

क) आयोग ने **"सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा"** की संकल्पना को सक्रियता से बढ़ावा दिया है। दो सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञाएं उपलब्ध हैं, पहली प्रतिज्ञा, नागरिकों का समर्थन एवं प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए है और दूसरी प्रतिज्ञा, कॉर्पोरेट / संस्थाओं / फर्मों आदि के लिए है (परिशिष्ट 'ख' और 'ग')। सभी कर्मचारियों, उनके परिवारों, विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / पणधारियों, छात्रों, नागरिकों इत्यादि के मध्य **"सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा"** का प्रसार एवं प्रचार करने की दिशा में सभी मंत्रालयों / विभागों / संगठनों द्वारा नवीन एवं ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि आयोग की पहल के लिए व्यापक सहभागिता प्राप्त की जा सके।

ख) "सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा" आयोग की वेबसाइट http://www.gov.nic.in पर उपलब्ध है तथा मंत्रालयों / विभागों / संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई गई हाइपरलिंक के माध्यम से भी प्रतिज्ञा ली जा सकती है।

ग) जागरूकता का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बड़ी संख्या में एस.एम.एस./ई-मेल, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आदि का व्यापक प्रयोग किया जाए।

घ) उपभोक्ता सेवाओं / गतिविधियों वाले संगठनों द्वारा नागरिकों / उपभोक्ताओं के लिए समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाए। इसी तरह से, जहाँ भी आवश्यकता हो, विक्रेता की बैठकें ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जा सकती हैं।

ङ)	संगठन, भ्रष्टाचार-रोधी संदेश के प्रचार के लिए और समृद्ध भारत के लिए आवश्यक सतर्क भारत की आवश्यकता पर बल देने हेतु विभिन्न आउटरीच कार्यकलाप संचालित करें। ऑनलाइन तरीके का व्यापक रूप से प्रयोग करें।

8.	सतर्कता स्टडी सर्किल भी कोविड -19 दिशानिर्देशों के साथ-साथ पैरा 4 और 5 में उल्लिखित अर्थोपाय को ध्यान में रखते हुए, इन कार्यकलापों में से कोई या सभी कार्यकलाप आयोजित करके सतर्कता जागरूकता सप्ताह में सक्रिय रूप से सहभागी बन सकते हैं।

9.	आयोग सभी संगठनों से अपेक्षा करता है कि वे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यकलापों को पूरे उत्साह तथा जोश के साथ आयोजित करें। यद्यपि, सभी कार्यकलापों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित करने की आवश्यकता है, तथापि, अत्यावश्यकता / विद्यालय के अवकाश आदि के मामले में, इन्हें सतर्कता जागरूकता सप्ताह से पहले या बाद में आयोजित किया जा सकता है।

10.	चुने गए फोटोग्राफ / मीडिया क्लिप्स, आयोग को **smedia-cvc@gov.in** पर ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं। फोटोग्राफ और मीडिया क्लिप्स, हैशटैग **#vigilanceweek 2020** का प्रयोग करके विभागीय / संगठन की वेबसाइट और सोशल मीडिया खातों पर अपलोड किए जा सकते हैं। इनको केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सोशल मीडिया अकाउंट्स **@cvcindia(twitter)** और **@cvcofindia (facebook)** पर भी टैग किया जा सकता है।

11.	सभी मंत्रालयों / विभागों / संगठनों द्वारा सप्ताह के अनुपालन की रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र [परिशिष्ट `क`] के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग को दिनांक 30 नवंबर, 2020 तक भेजी जाए।

12.	यह अधिसूचना आयोग की वेबसाइट http://www.cvc.nic.in पर भी उपलब्ध है।

पी. डेनियल

(पी. डेनियल)
अपर सचिव

संलग्न: यथा उपर्युक्त

सेवा में

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिव

(ii) सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव

(iii) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

(iv) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग

(v) मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग

(vi) सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों / वित्तीय संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / समितियों के मुख्य कार्यकारी।

(vii) मंत्रालयों / विभागों / केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों / वित्तीय संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / समितियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी।

परिशिष्ट-`क`

उन क्षेत्रों /गतिविधियों की निर्देशक सूची जिन्हें सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के एक भाग के रूप में अभियान में लिया जाना है।

(सभी संगठनों को निदेश दिया जाता है कि वे वर्तमान कोविड-19 के निवारण दिशानिर्देशों का और व्यय विभाग के दिनांक 04.09.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7[2]ई कॉर्ड/2020 के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा परिचालित अर्थोपाय का सभी स्थानों तथा कार्यक्रमों में सख्ती से अनुपालन करें ।)

1. भूमि प्रबंधन (भूमि, संपत्ति का स्वामित्व, अतिक्रमण मुद्दे आदि)

(क) क्या संगठन के पास अपने नियंत्रणाधीन भूमि के राजस्व दस्तावेज/रिकार्ड हैं ?

(ख) कितनी भूमि पर अतिक्रमण है और यह किन स्थानों पर है ?

(ग) अतिक्रमण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

(घ) कोई अन्य पहल?

2. आवास / निवास का आबंटन और संबंधित मुद्दे

(क) क्या संगठन आवास आबंटन के लिए आईटी एप्लिकेशन का उपयोग करता है ?

(ख) क्या संगठन के पास आवास आबंटन नीति है?

(ग) क्या निर्धारित नीति के अनुसार आवास आबंटन किया जाता है ?

(घ) क्या आवासों पर कोई अवैध कब्जा है, यदि कोई है तो क्या कार्रवाई की जा रही है?

(ङ) अन्य कोई मुद्दा ?

3. संगठन में आउटसोर्स सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को भुगतान और अन्य लाभ

(क) क्या संगठन के पास आउटसोर्सिंग के लिए निर्धारित मानदंड हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन मानदंडों का पालन किया जाता है ?

(ग) क्या ठेकेदार द्वारा वेतन/मजदूरी का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है?

(घ) क्या अन्य सांविधिक देय (पीएफ, चिकित्सा लाभ आदि) समय पर दिए जा रहे हैं ?

(ङ) क्या आउटसोर्स व्यक्तियों को देय मजदूरी का भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाता है और प्रबंधन द्वारा कोई परीक्षण जांच की जाती है ?

(च) क्या विक्रेता संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन कर रहे हैं ?

(छ) आउटसोर्सिंग के संबंध में कोई अन्य विशेष पहल ?

4. आस्तियों का प्रबंधन

(क) क्या आस्तियों का निराकरण (संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, वाहन, विविध वस्तुएं आदि) वर्तमान नियमों के अनुसार सख्ती से किया जा रहा है ?

(ख) आस्तियों के निराकरण की पिछली तिथि (संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, वाहन, विविध वस्तुएं आदि) दी जाए।

5. 01.09.2020 की स्थिति के अनुसार जाँच एवं रिपोर्ट के लिए लंबित शिकायतें

छह महीने से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निपटान 15.10.2020 तक किया जाए

एक वर्ष से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निपटान 31.10.2020 तक किया जाए

मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पास लंबित अन्य विषय

(क) अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई शिकायतों की स्थिति

6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग को आगे स्पष्टीकरण वाले लंबित सतर्कता मामले

मामलों का निष्पादन 31.10.2020 तक किया जाए

7. बड़ी शास्ति की कार्यवाहियाँ

छह महीने से अधिक समय से लंबित कार्यवाहियों को 31.10.2020 तक निपटाया जाए

8. लघु शास्ति की कार्यवाहियाँ

छह महीने से अधिक समय से लंबित कार्यवाहियों को 15.10.2020 तक निपटाया जाए

एक वर्ष से अधिक समय से लंबित कार्यवाहियों को 31.10.2020 तक निपटाया जाए

9. **मुख्य तकनीकी परीक्षक के निरीक्षण**

सभी लंबित मुख्य तकनीकी परीक्षक निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा का उत्तर 15.10.2020 तक भेजा जाए

10. **मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा किए गए निवारक सतर्कता उपाय**

(क) निरीक्षण

(ख) ई-प्रशिक्षण / ऑनलाइन प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएँ

(ग) क्या सभी अधिकारियों द्वारा वार्षिक संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत किया गया है ?

(घ) क्या संगठन के पास रिकॉर्ड धारण / संरक्षण नीति है ? यदि हां, तो अंतिम संशोधन की तिथि लिखें

(ङ) क्या संगठन की वर्तमान धारण नीति के अनुसार रिकॉर्ड नष्ट किए जा रहे हैं ?

(च) क्या संगठन पुराने अभिलेखों को डिजिटाइज़ कर रहा है/ डिजिटाइज़ करने की योजना बना रहा है?

11. **यदि संगठन स्कूल, अस्पताल आदि चलाता है, तो क्या प्रबंधन के लिए निर्धारित नीति का पालन किया जाता है?**

12. **जेंडर सेंसिटाईजेशन मामले**

(क) क्या संगठन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के लिए निर्धारित समितियों का गठन किया है? यदि हाँ, तो अंतिम बैठक की तिथि

(ख) संगठन में सभी स्तरों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है?

(ग) क्या संगठन में लिंग संबंधी मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न की जा रही है ?

13. **प्रौद्योगिकी उत्तोलन- आईटी उपयोग और ई-गवर्नेंस**

(क) एक निवारक सतर्कता उपाय के रूप में आईटी का उपयोग करने के लिए पिछले एक वर्ष में की गई नई पहलें (प्रत्येक पहल लगभग 50 शब्दों में वर्णित की जाए)

(ख) क्या संगठन में चल रहे आईटी आधारित अनुप्रयोगों के लिए **सूचना प्रणाली परीक्षण** नियमित रूप से किया जाता है ? अंतिम सूचना प्रणाली परीक्षण की तिथि दी जाए

14. **ऑडिट रिपोर्ट की संवीक्षा**

15. **नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को अद्यतन करना**

(क) क्या संगठन नियमित रूप से अपने अनुदेशों, नियमों और विनियमों को संशोधित करता है ? यदि हाँ, तो खरीद नियम, सीडीए नियमावली, स्थानांतरण /तैनाती नीति, एचआरए नीति, पदोन्नति नीति, धोखाधड़ी निवारण नीति / व्यापार नीति पर प्रतिबंध, आदि की अंतिम संशोधन की तिथि

(ख) क्या संगठन ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए नियम बनाए हैं ? यदि हाँ, तिथि प्रस्तुत करें

16. **व्यवस्था में किए गए सुधार (100 शब्दों के भीतर संक्षिप्त विवरण)**

व्यवस्था सुधार कार्यों / पहलों का विवरण, प्रत्येक कार्य / पहलों के लिए 50 शब्दों में दिया जाए / और सभी कार्यों के लिए कुल शब्द 100 से अधिक न हों

*****

परिशिष्ट `ख`

नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अत:, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि :-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा ;
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा ;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा ;
- जनहित में कार्य करूँगा ;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा ;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेन्सी को दूँगा।

परिशिष्ट `ग`

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूल करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं।

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा।

अत:, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :-

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे ;
- हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे ;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे ;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे ;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे ;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा पर्दाफाश तंत्र का प्रबंध करेंगे ;
- हम संबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करेंगे।